

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभिन्ता  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

देहरादून, दिनांक, 28 जुलाई, 2018

सिंचाई अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 1719/प्र०अ०/बजट/बी-1(सामान्य) दिनांक 03 मई, 2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर पूर्व अवमुक्त धनराशि के व्यय के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 200.55 लाख (रु० दो करोड़ पचपन हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद पौड़ी में मालन फीडर की मालन नदी से सुरक्षा कार्यों की योजना	491.92	269.90	200.00
2	जनपद नैनीताल के तहसील कालादुंगी में बोर नदी के बायें पार्श्व में कटाव रोकने के कार्यों की योजना (रीच 0.080 से 0.120 किमी०)	8.82	0.55	0.55
	योग	500.74	270.45	200.55

- (i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि०-31.03.2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
- (viii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-06-राज्य सैक्टर पोषित रिवर ट्रेनिंग-24-वहद निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3 (150)-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1480(1)/11-2018-04(12)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11. मॉडर्न फाइल।

आज्ञा से,  
(देवेन्द्र पालीवाल)  
अपर सचिव